न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक:- ।२०१७ पुनराविलोकन

१- लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री मूंगाराम,
२- सोनेराम पुत्र श्री मूंगाराम,
निवासीगण ग्राम माली बाजना,
तेहसील कैलारस, जिला मुरैना-म०प्र० ।

------ प्रार्थीगण

श्री ... द्वारा आज दि 31-1-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर

विरुध्द

मध्यप्रदेश शासन - ------ प्रतिप्रार्थी

पुनराविलोकन आवेदन-पत्र विरुध्द आदेश माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,ग्वालियर (श्री राकेश बंसल-अध्यक्ष), दिनांक १४-८-०८, अन्तर्गत धारा ५१ मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता,१९५९। प्र०क्र० २०८९।दो।०५-अपील ।

श्रीमान् जी,

पुनराविलोकन का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, इस माननीय न्यायालय की आज्ञा प्रत्यक्षदर्शी भूल जो अभिलेख पर है, होने के कारण निरस्ती योग्य है ।

२- यह कि, अपर आयुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुत अपील के साथ अवधि विधान की धारा ५ का आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर विलम्ब का स्पष्टीकरण दिया गया है । आवेदन पत्र में जो परिस्थितियां बताई गई हैं, सहवन उन पर विचार किये बिना आदेश पारित करने में भूल की है और यह भूल ऐसी भूल जो अभिलेख देखने से स्पष्ट है ।

३- यह कि, विलम्ब क्षमा के सम्बन्ध में न्यायालय को उदार दृष्टि-कोण अपनाना चाहिये, इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु –394–एक/17 जिला–मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों अभिभाषकों आदि हस्ताक्षर
4.5.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी उपस्थित। अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण में प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2– यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक अपील 2089–दो/05 में पारित आदेश दिनांक 14.08.08 के विरूद्व प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 394–एक/17 के तथ्यों पर उभयपक्ष अधिवक्तागण के तर्क सुने गये। 4– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक अपील 2089–दो/05 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 14.08.08 से किया जा चुका है। 5– रिव्यु प्रकरण कमांक 394–एक/17 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय	

जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब—अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स— कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई ठोस आधार नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राहय किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों। प्रकरण दा0 द0 हो। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य